अनुसूची–1–क
कतिपय लिखतों पर स्टाम्प शुल्क
(धारा–3, प्रथम परन्तुक देखिए)

टिप्पणी :– अनुसूची–1–क में के अनुच्छेद इस प्रकार क्रमांकित किये गये है कि जिससे वे अनुसूची–1 के वैसे ही अनुच्छेदों के समरूप हो जायें ।

अनुच्छेद	लिखितों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
1.	किसी ऐसे ऋण की जिसकी रकम या मूल्य बीस रूपये से अधिक हो अभिस्वीकृति जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही (जो बैंकर की पास बुक से भिन्न हो), में या किसी पृथक कागज पर, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जें में छोड़ दिया गया हो,ऐसे ऋण का साक्ष्य प्रदाय के लिये लिखी जाये या हस्ताक्षर की जाये : परन्तु ऐसी अभिस्वीकृति में ऋण चुकान का कोई वचन या ब्याज देने का कोई अनुबंध या किसी माल या अन्य संपत्ति का परिदान करने का अनुबंध अन्तर्विष्ट नहीं है ;	– दो रूपया ।
2.	प्रशासन बंधपत्र, जिसके अंतर्गत इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 (क्रमांक 39 सन् 1925) की धारा 291, 375 या 376 या गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट, 1873 (क्रमांक 5 सन् 1873) की धारा 6 के अधीन दिया गया बंध पत्र आता है;	– वही शुल्क जो ऐसी रकम के लिखे बंध पत्र (क्रमांक 15) पर लगता है ।
3.	दत्तक विलेख, अर्थात् दत्तक ग्रहण को अभिलिखित करने वाली या दत्तक ग्रहण के लिये प्राधिकार प्रदत्त करने वाली या प्रदत्त करने के लिये तात्पर्यित कोई लिखत (जो विल से भिन्न हो);	– पांच सौ रूपये ।
4.	शपथ पत्र, जिसके अंतर्गत उन व्यक्तियों के मामले जो शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान करने या घोषणा करने के लिये विधि द्वारा अनुज्ञात हो, कोई प्रतिज्ञान या घोषणा आती है;	– दस रूपये ।
5.	करार या करार का ज्ञापन :– (क) यदि यह विनिमय पत्र के विक्रय से या सरकारी प्रतिभूमि के विक्रय या किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के अंश के विक्रय से संबंधित है ;	– विनिमय पत्र या प्रतिभूति या अंश के मूल्य के प्रत्येक 10000 रूपये या उसके भाग के लिये एक रूपया ।
	(क)(क)– यदि वह ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर भवन के निर्माण से संबंधित है तथा उसमें यह अनुबंध हो कि निर्माण पश्चात्, ऐसा भवन यथास्थिति, उस अन्य व्यक्ति या भूमि के स्वामी या पटटेदार द्वारा संयुक्तः या पृथकतः धारित किया जायेगा या यह कि ऐसे भवन का उनके द्वारा संयुक्तः या पृथकतः विक्रय किया जायेगा या यह कि इसका एक भाग उनके द्वारा संयुक्तः या पृथकतः धारित किया जायेगा तथा उनका शेष भाग उनके द्वारा संयुक्तः या पृथकतः विक्रय किया जायेगा '' ;	– ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत
	(ख) यदि उसके लिये अन्यथा उपबंध न किया गया हो ;	– पचास रूपये ।

6.	**हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी से संबंधित करार, अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित करार को प्रमाणित करने वाला कोई लिखत :–** (1) ऐसे हक विलखों या लिखतों का निक्षेप जिनसे कि किसी भी (जो विक्रयभूति से भिन्न हो) पर के हक के साक्ष्य का गठन होता हो या जो उक्त प्रकार के हक का साक्ष्य हो *या* (2) जंगम संपत्ति का जहाँ ऐसा निक्षेप, पण्यम या गिरवी उधार के रूप में अग्रिम लिये गये या दिये जाने वाले धन के या वर्तमान या भावी ऋण के प्रतिसंदाय के लिये प्रतिभूति के रूप में की गई हो :– (क) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर, जो कि करार को साक्ष्यित करने वाले लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है ; (ख) यदि ऐसा उधार या ऋण, ऐसे समय पर प्रतिसंदेय हो जो कि ऐसी लिखत की तारीख से तीन माह से अधिक नहीं है ;	– अधिकतम रू. 50000 के अध्यधीन प्रतिभूत रकम का 0.5 प्रतिशत – अनुच्छेद 5 के उपखण्ड (क) के अधीन उधार या ऋण पर देय शुल्क का आधा
7.	शक्ति के निष्पादन में नियुक्त :– चाहे वह न्यासियों की हो अथवा जंगम या स्थावर संपत्ति की हो, चाहे कि वह किसी लेख द्वारा जो विल न हों, की गई हो;	– एक सौ रूपये ।
8.	मूल्यन या मूल्यांकन – जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के ओदश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया हो :– (क) जहां रकम 1000 रूपये से अधिक न हो ; (ख) किसी अन्य मामले में	– वही शुल्क जो ऐसी रकम के बंध का (क्रमांक–15) पर लगता है । – एक सौ रूपया ।
9.	शिक्षुता–विलेख, में जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा लेख आता है, जो किसी ऐसे शिक्षु लिपिक या सेवक की सेवा या ट्यूशन से संबंधित हो, जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिये रखा गया हो, किन्तु ऐसे लेख लिपिक पद का लेख (क्र.–11) न हो ;	– पन्द्रह रूपये ।
10.	***कंपनी की संस्था के अंतर्नियम–*** (क) जहां कंपनी के पास कोई अंश पूंजी न हो ; (ख) जहां कंपनी के पास अभिहित अंश पूंजी हो;	– एक हजार रूपये । – न्यूनतम एक हजार रूपये तथा अधिकतम पांच लाख रूपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसी अभिहित अंश पूंजी का 0.15 प्रतिशत)
11.	लिपिक पदीय–संविदा के लेख, जिनके द्वारा पहले कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में अटर्नी के रूप में प्रवेश पाने के लिये लिपिक के रूप में सेवा करने के लिए आबद्ध हो जाता है;	– तीन सौ पचास रूपये ।

12.	पंचाट, अर्थात किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश पर किसी मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा लिखित में दिया गया कोई विनिश्चय, जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है :– (क) जहां कि उस संपत्ति की, जिससे पंचाट संबंधित है :– रकम या मूल्य 10,000/–रू. से अधिक नहीं है; (ख) जहां कि यह 10,000/–रू. से अधिक है :– (एक) प्रथम 10,000/– रूपये पर ; (दो) 10,000/–रूपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 1,000/–रूपये या उसके भाग के लिये;	– वही शुल्क, जो ऐसी रकम के बंध पत्र (क्रमांक–15) पर लगता है । – वही शुल्क, जो ऐसी रकम के बंध पत्र (क्रमांक–15) पर लगता है । – दस रूपये ।
13.	* * * * * *	–
14.	* * * * * *	–
15.	बंधपत्र– जैसा कि धारा 2 (5) द्वारा परिभाषित किया गया है, किन्तु जो डिबेंचर न हो और जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम 1870 (क्रमांक 7 सन् 1870) द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो:– प्रतिभूत रकम या मूल्य पर; परंतु यदि मूल्य या रकम दस रूपये गुणित न हो, तो उसके निकटतम दस रूपये तक बढ़ाकर लिखा जायेगा, पांच रूपये तथा उससे अधिक को दस रूपया गिना जायेगा तथा पांच रूपये से कम को छोड़ दिया जायेगा ।	– ऐसी रकम या मूल्य का चार प्रतिशत । परंतु यदि देय शुल्क की रकम पचास पैसे का गुणित न हो, तो उसे निकटतम रूपये तक बढ़ाकर लिखा जायेगा, रूपये का आधा तथा उससे अधिक भाग एक रूपया गिना जायेगा और आधे रूपये से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा ।
16.	बाटमरी बंध पत्र, अर्थात कोई लिखत जिसके द्वारा समुन्द में जाने वाले पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है, जिससे कि वह पोत का परिरक्षण करने में या उसकी समुद्र यात्रा को अग्रसर होने में समर्थ हो सके ;	– वहीं शुल्क जो कि इसी रकम के बंधपत्र (क्रमांक–15)पर लगता है ।
17.	रद्दकरण का लिखत (जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी लिखत आता है, जिसके कि द्वारा पूर्व में निष्पादित किया गया कोई लिखत रद्द कर दिया गया हो) यदि वह अनुप्रमाणित हो और उसके लिये अन्यथा उपबंध न किया गया हो :–	– सौ रूपये ।
17–क	छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी किया गया अधिवक्ता अधिनियम–1961 (क्रमांक–25 सन् 1961) की धारा 22 के अधीन का अभ्यावेशन प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट आफ एनरोलमेंट)	– दो सौ पचास रूपये ।
17–ख	नोटरी अधिनियम,1952 (क्रमांक–53 सन् 1952) की धारा–5 की उपधारा (1) के अधीन नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रमाण पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन ;	– पांच सौ रूपये ।

18.	विक्रय प्रमाण पत्र, (ऐसी प्रत्येक संपत्ति के बारे में जो पृथक लाट के रूप में रखी गई हो और बेची गई हो) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई किसी संपत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो ।	वहीं शुल्क जो केवल क्रय–धन की रकम के बराबर के बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण पत्र (क्रमांक–23) पर लगता है ; *परंतु* यदि देय शुल्क की कुल रकम पचास पैसे का गुणित नहीं है, तो उसे निकटतम रूपये तक पूर्णाकित किया जायेगा, रूपये के आधे या उससे अधिक भाग को एक रूपया गिना जायेगा और रूपये के आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा ।
19.	प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज जो उसके धारक या किसी अन्य व्यक्ति के किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में या के किन्हीं अंशों, अस्थायी प्रमाण–पत्र (स्क्रिप) या स्टाक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसे कंपनी या निकाय में के या कि, अंशों, अस्थायी प्रमाण पत्र (स्क्रिप) या स्टाक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को प्रमाणित करता हो ;	– दो रूपये ।
20.	नौभाटक–पत्र, अर्थात कोई लिखत (कर्ष–वाष्प नौका के भाड़ें संबंधी करार के सिवाय) जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाटककर्ता) चार्टर के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये भाड़े पर दिया जाता हो, चाहे उस लिखत में शास्ति, खंड हो या न हो;	– तीन रूपये ।
21.	* * * * * *	–
22.	प्रशमन विलेख, अर्थात किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिये अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशासन धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञप्ति –पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदें के लिये चालू रखने के लिये उपबंध किया जाता है ;	– पचास रूपये ।
23.	हस्तांतरण पत्र, जो क्रमांक 62 के अधीन भारित या छूट प्राप्त अंतरण न हो, भले ही उस संपत्ति का, जो हस्तांतरण पत्र की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य कुछ भी क्यों न हो ;	– ऐसे बाजार मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत; **परंतु** यदि देय शुल्क की कुल रकम पचास पैसे का गुणित नहीं है, तो उसे निकटतम रूपये तक पूर्णाकित किया जायेगा, रूपये के आधे या उससे अधिक भाग को एक रूपया गिना जायेगा और रूपये के आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा ।

		''(क) परन्तु यह भी कि, जहां कोई लिखत कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 394 सहपठित धारा 391 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (1949 का 10) की धारा 44–क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कंपनियों के समामेलन या पुर्नगठन से संबंधित हो, वहां प्रभार्य शुल्क, उस अंतरित स्थावर संपत्ति जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हैं, के बाजार मूल्य के 7.5 प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसे अंतरण के विनिमय मे या अन्यथा जारी या आबंटित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम के योग के 0.7 प्रतिशत जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा ।''
24.	प्रतिलिपि या उद्धरण, जो किसी लोक अधिकारी द्वारा या उसके आदेश से सही प्रतिलिपि या उद्धरण होना प्रमाणित किया गया है, और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है ;	– दस रूपये ।
25.	किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभारित किये जाने योग्य हो और जिसके संबंध में उचित शुल्क चुका दिया गया हो, प्रतिलेख या दूसरी प्रति :–	
	(क) यदि शुल्क, जो कि मूल लिखत पर प्रभार्य हो, चार रूपये से अधिक न हो ;	– वही शुल्क जो मूल पर देय है ।
	(ख) किसी अन्य मामले में;	– छः रूपये ।
26.	**सीमा शुल्क संबंधी बंध–पत्र :–**	
	(क) जहां रकम 5,000/–रू. से अधिक न हो ;	– (पचास रूपये के अधिकतम स्टाम्प शुल्क के अध्यधीन रहते हुए वही शुल्क जो ऐसी रकम के बंधपत्र (क्रमांक–15) पर लगता है)
	(ख) जहां रकम 5,000 रूपये से अधिक हो बंध–पत्र (क्रमांक–15) तथा धारा 8 और 55 भी देखिये ;	– सौ रूपये ।
27.	* * * * * *	–
28.	माल के संबंध में परिदान आदेश, अर्थात कोई ऐसा लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशितियों या उसके (लिखत के) धारक को, किसी डाक या पत्तन पर या ऐसे किसी भांडागार में, जिसमें कि माल भाटक या भाड़े पर संग्रहित या निक्षिप्त किया जाता हो, या किसी घाट पर पड़े हुए माल के परिदान के लिये हकदार बनाता हो, और ऐसा लिखत उसमें की संपत्ति के विक्रय या अंतरण पर, ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से हस्तांतरित की गई हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य बीस रूपये से अधिक हो ;	– दो रूपये ।
29.	विवाह–विच्छेद का लिखत अर्थात कोई ऐसा लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है ;	– एक सौ रूपये ।
30.	* * * * * *	–

31.	संपत्ति के विनिमय का लिखत ;	– वही शुल्क जो अपेक्षाकृत अधिक मूल्य की उस संपत्ति के, जो कि विनिमय की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण पत्र (क्रमांक–23) पर लगता है ।
32.	अतिरिक्त भार का लिखत, अर्थात कोई ऐसा लिखत जो बंधक संपत्ति पर अतिरिक्त भार अधिरोपित करता हो– (क) जबकि मूल बंधक अनुच्छेद क्रमांक–40 के खंड (क) में निर्दिष्ट किये गये प्रकारों में से एक प्रकार को हो (अर्थात कब्जा सहित) ; (ख) जबकि ऐसी बंधक, अनुच्छेद क्रमांक–40 के खंड (ख) में निर्दिष्ट किये गये प्रकारों में से एक प्रकार का हो(अर्थात कब्जा रहित) :– (एक) यदि और भार के लिखत के निष्पादन के समय संपत्ति का कब्जा ऐसे लिखत के अधीन दे दिया गया हो या दिये जाने के लिए करार किया गया है ; (दो) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया हो;	– वही शुल्क जो ऐसे लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये और भार की रकम के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण–पत्र (क्र.–23) पर लगता है । – वही शुल्क जो कि भार (जिसके अंतर्गत मूल बंधक तथा पूर्व में किया गया और कोई भार आता है) की कुल रकम के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण (क्रमांक–23) पर लगता है, जिस शुल्क में से ऐसे मूल बंधक तथा और भार पर चुकाये गये शुल्क को कम कर दिया जायेगा । – वही शुल्क जो ऐसे लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये और भार की रकम के लिये बंध–पत्र (क्रमांक–15) पर लगता है ।
33.	दान का लिखत, जो परिनिर्धारण (क्रमांक 58) या विल या अंतरण (क्रमांक 62) न हो ;	– वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो कि दान के विषयवस्तु है, बाजार मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण–पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है ।
34.	क्षतिपूर्ति बन्धपत्र ;	– वही शुल्क जो उसी रकम के प्रतिभूति पत्र (क्रमांक–57) पर लगता है ।
35.	पट्टा–जिसके अंतर्गत शिकमी–पट्टा (अण्डरलीज) या उप–पट्टा या उप पट्टे पर देने के लिये कोई करार आता है:– (क) जहां ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया हो तथा कोई प्रीमियम चुकाया या परिदत्त न किया गया हो–	
	(एक) जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिये तात्पर्यित हो ;	– वहीं शुल्क जो ऐसे पट्टे के अधीन देय पर परिदेय संपूर्ण रकम के बंधपत्र (क्रमांक–15) पर लगता है ।
	(दो) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो एक वर्ष से कम न हो किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो ;	– वहीं शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के बंध पत्र (क्रमांक 15) पर लगता है ।

	(तीन) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो पांच वर्ष से अधिक हो, तथा दस वर्ष से अधिक न हो ;	– वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की डेढ़ गुणी रकम या मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है ।
	(चार) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो दस वर्ष से अधिक हो, किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो;	– वही शुल्क जो आरक्षित औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है ।
	(पांच) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो तीस वर्ष से अधिक हो, किन्तु तीस वर्ष से अधिक न हो;	– वही शुल्क जो आरक्षित औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण (क्रमांक–23) पर लगता है ।
	(छः) जहां पट्टे ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो तीस वर्ष से अधिक हो, किन्तु एक सौ वर्ष से अधिक न हो	– वही शुल्क जो आरक्षित औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के आठ गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण पत्र (क्रमांक–23) पर लगता है ।
	(सात) जहां पट्टा एक सौ वर्ष से अवधि के लिये या शाश्वत काल के लिये तात्पर्यित हो ;	– वही शुल्क जो साढे बारह वर्ष के पट्टे में देय बाजार भाटक के बराबर बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है ।
	(आठ) जहां पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो;	– वही शुल्क जो ऐसे औसत वार्षिक भाटक की, जो प्रथम दस वर्ष के लिये उस दशा में चुकाया गया या परिदत्त किया जायेगा, जबकि पट्टा उस अवधि तक चालू रहा हो, रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण (क्रमांक–23) पर लगता है ।
	(ख) जहां पट्टा किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिये अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया हो और जहां कोई भाटक आरक्षित न हो ;	– वहीं शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अधिदाय (एडवांस) की रकम या मूल्य, जैसा कि पट्टे उपवर्णित है, के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है । *परन्तु* जहाँ पट्टा 30 वर्ष से अधिक की अवधि या शाश्वत काल के लिये तात्पर्यित हो तो ऐसे पट्टे पर वही शुल्क प्रभार्य होगा जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण पत्र (क्रमांक–23) पर लगता है ।

	(ग) जहां पट्टा किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिये या आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त अग्रिम दिये धन के लिये मंजूर किया हो ;	– वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अधिदाय की रकम या मूल्य जैसा कि वह पट्टे में उप वर्णित है, के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है, जो कि उस शुल्क के अतिरिक्त होगा, जो उस दशा में जबकि कोई जुर्माना या प्रीमियम या अधिदाय चुकाया या परिदत्त न किया गया हो, ऐसे पट्टे पर देय होता ; **परंतु** किसी भी दशा में जबकि पट्टे संबंधी करार पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित हो तथा ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया हो, ऐसे पट्टे पर शुल्क (दस रूपये) से अधिक नहीं होगा ।
स्पष्टीकरण : जबकि पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार, जैसे कि सरकारी राजस्व, भू–स्वामी का उपकरों (सेस) का अंश, या स्वामी का नगर पालिक रेन्ट तथा अन्य करों का अंश, जो पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलीय हो, के चुकाने का जिम्मा लेता हो, तो वह रकम जिसके कि, पट्टेदार द्वारा चुकाये जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जायेगी ।		
36.	किसी कंपनी या प्रस्तावित कंपनी के अंशों का आबंटन पत्र या किसी कंपनी या प्रस्तावित कंपनी द्वारा लिये जाने वाले किसी उधारी के बारे में ;	– दो रूपये ।
37.	* * * * * *	–
38.	अनुज्ञप्ति पत्र अर्थात ऋणी तथा उसके लेनदारों के मध्य इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिये अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को उसके स्वयं के विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे ;	– पचास रूपये ।
39.	**कंपनी का संथा–ज्ञापन :–** (क) यदि उसके साथ इंडियन कंपनीज एक्ट, 1913 (क्रमांक 7 सन 1913) की धारा 17 अथवा कंपनीज एक्ट, 1956 (क्रमांक 1सन् 1956) की धारा 26,27 तथा 28 के अधीन संस्था के अंतर्नियम संलग्न हो ;	– पांच सौ रूपये ।
	(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो ;	– वही शुल्क जो अनुच्छेद 10 के अधीन अंतर्नियमों पर कंपनी की अंशपूंजी के अनुसार उद्ग्रहणीय है ।

40.	बंधक विलेख जो कि हक विलेखों के निक्षेप पण्यम या गिरवी (क्रमांक 6), बंध पत्र (क्रमांक 15) फसल के बंधक(क्रमांक 41) नौभार–बंधक–बंधपत्र (क्रमांक 56) या प्रतिभूति बंध पत्र (क्रमांक 57) से संबंधित करार न हो :–	
	(क) जब ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति में या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दिया गया हो या दिये जाने के लिये करार किया गया हो;	– वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है
	(ख) जब यथा पूर्वोक्त कब्जा न दिया हो या दिये जाने के लिये करार न किया गया हो ;	– वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बंधपत्र (क्रमाक 15) पर लगता है ।
	(ग) जबकि कोई सामपार्श्विक, या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति हो, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिये आश्वासन के रूप में जहाँ कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक रूप से स्टाम्पित हो –	
	ऐसे प्रत्येक 1000 रूपये या उसके भाग के लिये जो प्रतिभूत हो ;	– तीन रूपये ।
41.	फसल का बंधक, जिसके अंतर्गत कोई भी ऐसा लिखत आता है, जो फसल के बंधक पर दिये गये उधार के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिये किसी करार को प्रमाणित करता हो, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो:–	
	(क) जबकि ऐसा उधार, ऐसे समय पर प्रतिसंदेय हो, जो कि ऐसे लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक न हो–	
	200 रूपये से अनधिक प्रत्येक ऐसी राशि के लिये जो प्रतिभूत हो ;	– एक रूपया ।
	तथा 200 रूपये से अधिक ऐसे प्रत्येक 200 रूपये या उससे ऐसे भाग के लिये जो प्रतिभूत हो ;	– एक रूपया ।
	(ख) जबकि ऐसा उधार, ऐसे सयम पर प्रतिसंदेय हो, जो कि ऐसे लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक हो किन्तु अठारह मास से अधिक न हो :–	
	100 रूपये से अनधिक प्रत्येक ऐसी राशि के लिये जो प्रतिभूति हो ;	– एक रूपया ।
	तथा 100 रूपये से अधिक प्रत्येक 100 रूपये या उसके भाग के लिये ;	– एक रूपया ।
42.	नोटरी कार्य– अर्थात कोई भी ऐसा लिखत, पृष्ठांकन नोट अनुप्रमाणन, प्रमाण पत्र या प्रविष्टि जो अनादर–प्रमाणन (प्रोटेस्ट) (क्रमांक 50) न हो और जो नोटरी पब्लिक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या नोटरी पब्लिक के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो या हस्ताक्षरित की गई हो ;	– दस रूपये ।

43.	नोट या ज्ञापन– जो कि दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लिये निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की सूचना देते हुए भेजा गया हो :– (क) ऐसे किसी भी माल का, जो एक सौ रूपये से अधिक मूल्य का हो ; (ख) ऐसे किसी भी स्टॉक या विक्रय प्रतिभूति का जो एक सौ रूपये से अधिक मूल्य का हो;	 – दो रूपये । – पचास रूपये के अधिकतम स्टाम्प शुल्क के अध्यधीन रहते हुए, स्टाक या प्रतिभूत के मूल्य के प्रत्येक 10,000 रूपये या उसके भाग के लिये एक रूपये ।
44.	पोत के मास्ट द्वारा प्रसाक्ष्य का नोट पोत के मास्टर द्वारा दी गई प्रसाक्ष्य (क्रमांक 51) भी देखियें ;	– दो रूपये ।
45.	विभाजन की लिखत (धारा 2(15) द्वारा यथा परिभाषित) ;	– वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के पृथक किये गये अंश या अंशों के बाजार मूल्य की रकम के बंधपत्र (क्रमांक–15) पर लगता है । **टिप्पण**– संपत्ति विभाजित किये जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि समान मूल्य के दो या अधिक अंश है और जो अन्य अंशो में से किसी भी अंश से छोटे नहीं है, तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जायेगा जिससे कि अन्य अंश पृथक कर दिये गये है ; ***परन्तु सदैव यह कि–*** (क) जब विभाजन की कोई ऐसी लिखत हो जिसमें संपत्ति को अनन्याधिकृत रूप से विभक्त करने का करार अंतर्विष्ट हो, निष्पादित की गई हो और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया हो, तो ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत के संबंध में संदत्त शुल्क की रकम कम कर दी जायेगी, किन्तु यह दस रूपये से कम नही होगी। (ख) जहां किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया विभाजन संबंधी अंतिम आदेश या विभाजन करने का निर्देश देने वाले किसी मध्यस्थ द्वारा दिया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क दस रूपये से अधिक नहीं होगा । (ग) जहां भूमि राजस्व बंदोबस्त पर धारित हो वहां (इस बात के होते हुए भी कि उस पर भू–राजस्व देय है या नहीं) शुल्क के प्रयोजन के लिये बाजार मूल्य की संगणना उसके वार्षिक भू–राजस्व के साठ गुने पर की जायेगी ।

46.	भागीदारी– (क) भागीदारी की लिखत : (क) जहां भागीदारी की कोई पूंजी नहीं है या वह 25,000 रूपये से अधिक न हो ; (ख) जहां वह 25,000 रूपये से अधिक हो ; (ख) भागीदारी का विघटन;	 – एक हजार रूपये । – वही शुल्क जो अधिकतम पांच हजार रूपये से अध्यधीन रहते हुए भागीदारी की पूंजी की रकम के बंधपत्र (क्रमांक–15) पर लगता है । – दो सौ पचास रूपये ।
47.	* * * * * *	–
48.	मुख्तारनामा– जैसा कि धारा 2(21) में परिभाषित किया गया है, जो कि प्रतिपत्र (प्राक्सी) (क्रमांक 52) न हो– (क) जब कि एक ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के एकमात्र प्रयोजन के लिये या ऐसे एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकार करने के लिये निष्पादित किया गया हो ; (ख) जबकि प्रविन्सियल स्माल काज कोर्टस एक्ट 1887 (क्रमांक 9 से 1887) या राज्य के किसी क्षेत्र में स्माल काज कोर्टस से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन वादों या कार्यवाहियों में अपेक्षित हो ; (ग) जबकि खंड (क) में वर्णित किये गये मामले को छोड़कर एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को किसी एक संव्यवहार में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हो ; (घ) जबकि पांच से अनधिक व्यक्तियों को एक से अधिक संव्यवहारों में या सामान्यतः, संयुक्तः तथा पृथकतः कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हो; (ङ) जबकि पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को एक से अधिक संव्यवहारों में या सामान्यतः, संयुक्ततः तथा पृथकतः कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हो; (च) जबकि वह प्रतिफल के लिये दिया गया है तथा अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय या अंतरण करने के लिये प्राधिकृत करता है ; (च–एक) जबकि वह ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में, जो उसका/उसके पति/पत्नी या बच्चे या माता या पिता नहीं है, बिना प्रतिफल के लिये दिया गया है, तथा अटर्नी को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय या अंतरण करने के लिये प्राधिकृत करता है ; (क) जहां ऐसा मुख्तार नामा मालिक द्वारा अपने या अपनी सभी बहन/बहनों, भाई/भाइयों, को दिया जाता है ; (ख) जहां ऐसे मुख्तार नामे से संबंधित स्थावर संपत्ति छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित हो ; (छ) अन्य किसी मामले में ;	 – दस रूपये । – दस रूपये । – बीस रूपये । – एक सौ रूपये । – एक सौ पचास रूपये । – वहीं शुल्क जो कि संपत्ति के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 23 के अधीन हस्तांतरण पत्र पर लगता है । – वही शुल्क जो कि संपत्ति के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद 23 के अधीन हस्तांतरण पत्र पर लगता है । – एक सौ रूपये । – एक सौ रूपये । – प्राधिकृत किये प्रति व्यक्ति के लिये बीस रूपये ।

अनुच्छेद 48 :

स्पष्टीकरण–एक – इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये एक से अधिक व्यक्ति को, जबकि उसी फर्म के हों, एक ही व्यक्ति समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण–दो – जहां मुख्तारनामे पर खण्ड (च) और (च–एक) के अधीन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है और उस संपत्ति से संबंधित कोई हस्तांतरण पत्र, मुख्तारनामें के अनुसरण में मुख्तारनामें के निष्पादक और ऐसे व्यक्ति के बीच, जिसके पक्ष में उसे निष्पादित किया गया है, निष्पादित किया जाता है, वहां हस्तांतरण पत्र पर शुल्क ऐसा शुल्क होगा जो संपत्ति के बाजार मूल्य पर संगणित किये गये शुल्क में से मुख्तारनामें पर भुगतान किये गये शुल्क को कम करके आता है ।

49.	* * * * * *	–
50.	विपत्र या नोट का अनादर प्रमाणन– अर्थात नोटरी पब्लिक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कि उस रूप में विधिपूर्वक कार्य करता हो, लिखित में की गई ऐसी घोषणा जो विनिमय पत्र या प्रामिसरी नोट को अनादर करने का अनुप्रमाणन करता हो ;	– तीन रूपये ।
51.	पोत के मास्टर द्वारा प्रसाक्ष्य, अर्थात उसकी (पोत की) यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा पत्र जो कि हानियों का समायोजन करने या औसतों की संगणना करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया हो और उसके द्वारा पोत को न लादने या खाली न करने के लिये चार्टरों या प्रेषितियों के विरूद्ध लिखित में किया गया प्रत्येक घोषणा पत्र, जबकि ऐसा घोषणा पत्र नोटरी पब्लिक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कि उस रूप में विधिपूर्वक कार्य कर रहा हो, अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया हो ;	– तीन रूपये ।
52.	* * * * * *	–
53.	* * * * * *	–
54.	**बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण–** (क) यदि प्रतिफल जिसके लिये संपत्ति बंधकित की गई थी, 1,000 रूपये से अधिक न हो; (ख) अन्य किसी मामले में ;	– वही शुल्क जो कि ऐसे प्रतिफल की रकम के जैसी कि वह प्रति हस्तांतरण पत्र में दर्ज हो बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है । – एक सौ रूपये ।
55.	निर्मुक्ति– अर्थात कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा 23–ए द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर होने वाले दावे का या किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति के विरूद्ध दावे का त्याग कर देता है;	– वही शुल्क जो उस संपत्ति जिस पर दावे का त्याग कर दिया गया है, प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के बंध पत्र (क्रमांक 15) पर लगता है ।
56.	नौभार बन्धक बन्ध पत्र, अर्थात कोई लिखत, जो कि किसी पोत लादे गये या लादे जाने वाले स्थोरा पर उधार प्रतिभूत करने और स्थोरा के मंतव्य पतन पर पहुंचने पर प्रति संदाय करने से संबंधि हो ;	– वही शुल्क जो प्रतिभूत किये गये उधार रकम के बंधपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है।

57.	प्रतिभूति पत्र या बंधक विलेख जो किसी पदीय कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिये प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया हो या जो उसके आधार पर प्राप्त किये गये धन या प्राप्त की गई अन्य संपत्ति का लेखा जोखा देने के लिये निष्पादित किया गया हो या संविदा के सम्यक पालन सुनिश्चित करने के लिये प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया हो– (क) जबकि प्रतिभूत रकम 5000 रूपये से अधिक न हो ; (ख) किसी अन्य मामलें में ;	– वही शुल्क जो प्रतिभूत रकम के बंधपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है । – दो सौ पचास रूपये ।
58.	**परिनिर्धारण** –क– परिनिर्धारण का लिखत (जिसके अंतर्गत मेहर विलेख आता हो); <u>छूट :–</u> विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया मेहर विलेख ।	– वही शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य की रकम के बराबर की राशि बंधपत्र (क्र.15) पर लगता है : ***परन्तु*** जहां व्यवस्थापन के लिये करार व्यवस्थापन की लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन की लिखत बाद में निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क दस रूपये से अधिक नहीं होगा ।
59.	**वाहक के लिये अंश अधिपत्र**– जबकि वे इंडियन कम्पनीज एक्ट 1913 (क्रमांक–7 सन् 1913) या कम्पनीज एक्ट 1956 (क्रमांक–1 सन् 1956) के अधीन जारी किये गये हो ;	– अधिपत्र में विनिर्दिष्ट अंशों के अभिहित रकम के बराबर बाजार मूल्य के लिये हस्तांतरण (क्रमांक–23) पर देय शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क ।
60.	पोत द्वारा भेजने का आदेश जो कि किसी जलयान पर लाद कर माल के प्रवहण के लिये दो या उससे संबंधित हो ;	– एक रूपये ।
61.	**पट्‌टे का अभ्यपर्ण**– (क) जब पट्‌टे पर प्रभार्य शुल्क पंद्रह रूपये से अधिक न हो ; (ख) किसी अन्य मामले में ; <u>छूट :–</u> पट्‌टे का अभ्यर्पण जबकि ऐसे पट्‌टे को शुल्क से छूट दे दी गई हो ।	– शुल्क जो ऐसे पट्‌टे पर प्रभार्य हो – एक सौ रूपये ।

62.	अंतरण (चाहे यह प्रतिफल के सहित हो या प्रतिफल के बिना हो) ; (क) ' ' ' ' ' ' (ख) धारा–8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय अन्य डिबेंचरों का, जो विक्रय प्रतिभूति हो, चाहे डिबेन्चर शुल्क के दायित्वाधीन हो या न हो ; (ग) किस बंधपत्र, बंधक विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का अंतरण– (एक) यदि ऐसे बंध पत्र, बंधक विलेख या पालिसी पर शुल्क पांच रूपये से अधिक न हो; (दो) किसी अन्य मामले में ; (घ) एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट, 1963 (क्र.–45 सन् 1963) की धारा 22 के अधीन किसी संपत्ति का अंतरण ; (ङ) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को किसी न्यास संपत्ति का अंतरण (प्रतिफल के बिना) ;	– डिबेन्चरों की अंकित राशि के बराबर प्रतिफल वाले हस्तांतरण (क्रमांक–23) पर देय शुल्क का आधा । – शुल्क, जो ऐसे बंधपत्र, बंधक विलेख या बीमा पालिसी पर प्रभार्य हो । – बीस रूपये । – तीस रूपये । – पन्द्रह रूपये सा ऐसी कम रकम जो इस अनुच्छेद के खंड (क) तथा (ग) के अधीन प्रभार्य हो ।
63.	समनुदेशन द्वारा न कि उप द्वारा पट्टे द्वारा पट्टे का अंतरण ;	– वहीं शुल्क जो उस संपत्ति के, जो अंतरण की विषयवस्तु है, बाजार मूल्य के हस्तांतरण–पत्र (क्र.23) पर लगता है ।
64.	**न्यास** :– (क) न्यास की घोषणा या कोई संपत्ति संबंधी लिखत जबकि वह किसी ऐसी लिखत द्वारा लिखा गया हो, जो कि विल न हो ; (ख) न्यास का प्रतिसंहरण या कोई संपत्ति संबंधी लिखत जबकि वह विल को छोड़कर किसी अन्य लिखत द्वारा लिखा गया हो ; <u>छूट :–</u> खैराती तथा धार्मिक न्यास (जिनके अन्तर्गत वक्फ अलल औलाद आते हैं)	– वहीं शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य, जो कि लिखत में उपवर्णित हो, के बराबर राशि के बंधपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है, किन्तु (पांच सौ रूपये) से अधिक नहीं । – वहीं शुल्क जो संबंधित संपत्ति की रकम या मूल्य जो कि लिखत उपवर्णित हो, के बराबर राशि के बंधपत्र (क्रमांक–15) पर लगता है, किन्तु (दो सौ पचास रूपये) से अधिक नहीं ।
65.	**माल के लिये अधि पत्रः**– अर्थात ऐसा कोई लिखत जो उसमें नामित किसी एक व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के, किसी डाक, भण्डागार या घाट में या पर पड़े किसी माल में संपत्ति संबंधी हक को प्रमाणित करता हो, जबकि ऐसा लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल हो, हस्तांक्षरित या प्रमाणित किया गया हो ;	– दो रूपया ।